''बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2006—वैशाख 15, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6.—राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2005 के तारतम्य में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत अपराध अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी.) छत्तीसगढ़ को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/53/2004/1/2.—डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से., आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को दिनांक 24-3-2006 से 3-4-2006 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/7/2004/1/2.—डॉ. पी. राघवन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 17-4-2006 से 29-4-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15, 16 एवं 30 अप्रैल, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. डॉ. राघवन, भा.प्र.से. के अवकाश अवधि में श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से., सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. राघवन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में डॉ. राघवन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राघवन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन संपर्क विभाग को दिनांक 10-4-2006 से 18-4-2006 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 एवं 9 अप्रैल, 2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन संपर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/23/2004/1/2.—श्री एस. के. कुजूर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 11-5-2006 से 19-5-2006 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 मई, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कुजूर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

विषय :—छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में.

क्रमांक 165/सी-1409/वित्त/नियम/चार/2006.—राज्य शासन द्वारा अपने पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 443/सी-1409/वि/नि/चार/05 दिनांक 11-11-2005 द्वारा 59 प्रतिशत महंगाई राहत स्वीकार की गई है. राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि पेंशनरों को प्राप्त हो रही महंगाइ राहत दिनांक 1-4-2006 (माह अप्रैल 2006 की पेंशन जो माह मई 2006 में देय) से 65 प्रतिशत की दर से स्वीकार की जाये.

2. उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation) सेवानिवृत्त (Retiring) असमर्थता (Invaild) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी. सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compensation Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत की पात्रता वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी-6/43/76/नि-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन होगी. ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी. इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ-बी-6/10/76/नि-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन क्रमांक एफ-बी/6/10/77/नि/2/चार, दिनांक 2-5-77 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है.

3. ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी.

4. महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा.

5. राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उपकोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्त्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र.-ई-4/1-83/नि/5/चार दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें. भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार छत्तीसगढ़ से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे.

Raipur, the 19th April 2006

Sub. :—Grant of Dearness Relief to State Government Pensioners.

No. 165/C-1409/F/R/IV/2006.—The State Government had sanctioned 59% dearness releif to their Pensioners vide Finance Department Memo No. 443/C-1409/F/R/IV/2005 dated 11-11-2005. The State Government have now decided that the dearness relief admissible to pensioners of Chhattisgarh Government should be sanctioned @ 65% w.e.f. 1-4-2006 (Pension of the month of April, 2006 payable in May, 2006).

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compansionate Allowance sanctioned to the emplyees discharged or removed from service and the said dearness releif shall also be payable to persons receiving family penson and extra-ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B. 6/43/76/R-11/IV dated 5-10-76. The dearness relief on the Pension/Family Pension shall not be payable in cases where the pensioners/family pensioners are appointed re-appointed under the State Government or autonomous institution. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F. B. 6/10/76/R-11/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-11/IV, dated 2-5-77.

3. Pensioners, who have commuted a part of their Penison shall be paid the deanress relief on their original Pension (Pension before Commutation).

4. Fraction of rupee of amount to be paid as dearness relief, shall be rounded off to the next rupee.

5. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view of the amended provisions of S.R. 347 of the C.G.T.C. volume-1 issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

फा क्र. 810/3(बी)/30/2005/21-ब (मेरिट क्रमांक-30).—राज्य शासन, श्री आनंद प्रकाश वारियाल, आत्मज श्री धर्मानंद वारियाल को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

विषय :—महाधिवक्ता कार्यालय छत्तीसगढ़ में विधि अधिकारियों के पदों के निर्माण के संबंध में.

फा. क्र. 678/2990/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन, महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर हेतु विधि अधिकारियों के पदों के निर्माण के संबंध में पूर्व के सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार विधि अधिकारियों के पद, उनके नाम के समक्ष अंकित पारिश्रमिक पर निर्मित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करता है :—

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद की संख्या	पारिश्रमिक
1.	महाधिवक्ता	01	रु. 30,000 (रु. तीस हजार)
2.	अतिरिक्त महाधिवक्ता	03	रु. 25,000 (रु. पच्चीस हजार)
3.	उप महाधिवक्ता	05	रु. 23,000 (रु. तेईस हजार)
4.	शासकीय अधिवक्ता/अति. शास. अधिवक्ता.	11	रु. 20,000 (रु. बीस हजार)
5.	उपशासकीय अधिवक्ता	07	रु. 17,000 (रु. सत्रह हजार)

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्यायप्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 3428-महाधिवक्ता-01-वेतन-001 अधिकारियों का वेतन मद में विकलनीय होगा.

उपरोक्त पदों में से अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उप महाधिवक्ता के एक-एक पद के निर्माण के संबंध में स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 111/1675/वित्त विभाग/ब-3/2005 दिनांक 1-3-2006 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 4070/डी-746/21-ब/छ.ग./2006.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2607/डी-1050/21-ब/छ.ग./2004, दिनांक 27-4-2004 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19, सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर ''फास्ट ट्रेक कोर्ट्स'' का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :—

अनुसूची

अनु.क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या (4)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	1
		कांकेर	1
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	3
		जांजगीर	1
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
3.	कोरबा	कोरबा	1
4.	दुर्ग	दुर्ग	6
		बालोद	1
5.	रायगढ़	रायगढ़	2
6.	रायपुर	रायपुर	6
		धमतरी	1
7.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	1
8.	सरगुजा	सूरजपुर	2
		रामानुजगंज	2
		मनेन्द्रगढ़	1
		कुल	31

Raipur, the 17th April 2006

No. 4070/D-746/21-B/C.G./2006.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 2607/D-1050/21-B/C.G./2004, Raipur, dated 27-4-2004 of this department, the State Government, on the recommendations of the High Court of Chhattisgarh, hereby, constitutes and establishes "Fast Track Courts" specified in Schedule below with effect from the date of the Presiding Judge take over charge at these places :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Bastar at Jagdalpur	Jagdalpur	1
		Kanker	1
2.	Bilaspur	Bilaspur	3
		Janjgir	1
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
3.	Korba	Korba	1
4.	Durg	Durg	6
		Balod	1
5.	Raigarh	Raigarh	2
6.	Raipur	Raipur	6
		Dhamtari	1
6.	Kabir Dham (Kawardha)	Kawardha	1
8.	Sarguja	Surajpur	2
		Ramanujganj	2
		Manendragarh	1
		Total	**31**

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

क्रमांक फा. 1-1/2003/4226/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-2 (ञ) एवं छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सिमगा थाना एवं सुहेला पुलिस थाना का न्यायिक क्षेत्राधिकार भाटापारा में स्थापित न्यायालय से संबद्ध किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है.

इस संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में कोई आपत्ति किसी व्यक्ति को हो तो वह सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक-एफ 9-64/32/2005.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा-24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा-85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा-85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) नियम 42-क के उप नियम (क) के खंड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए अर्थात् :—

"परन्तु जहां भू-खंड का आकार 8000 वर्गमीटर से अधिक हो वहां भूतल कवरेज उस अधिभोग के भवन के लिए विकास योजना में विनिर्दिष्ट भूतल कवरेज के अनुरूप होगा."

(2) नियम 42-क के उप नियम (ख) के खंड 1 के उपखंड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु जहां भू-खंड का आकार 10000 वर्गमीटर से अधिक हो वहां भूतल कवरेज उस अधिभोग के भवन के लिए विकास योजना में विनिर्दिष्ट भूतल कवरेज के अनुरूप होगा."

(3) नियम-49 के उप नियम-1 की सारणी-4 के सरल क्रमांक-3 के पश्चात् सरल क्रमांक-3 (क) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3-क	वाणिज्यिक	मल्टीप्लेक्स	प्रत्येक 1,00,000 की जनसंख्या पर 1.	(क) वाणिज्यिक भू-उपयोग के अंतर्गत न्यूनतम भू-खंड आकार 4000 वर्गमीटर. (ख) आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत न्यूनतम भू-खंड आकार 8000 वर्गमीटर. (ग) कृषि भू-उपयोग के अंतर्गत न्यूनतम भू-खंड आकार 16000 वर्गमीटर.
		सितारा हॉटल	प्रत्येक 2,00,000 की जनसंख्या पर 1.	(क) वाणिज्यिक भू-उपयोग के अंतर्गत न्यूनतम भू-खंड आकार 6000 वर्गमीटर. (ख) आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत न्यूनतम भू-खंड आकार 10000 वर्गमीटर. (ग) कृषि भू-उपयोग के अंतर्गत न्यूनतम भू-खंड आकार 20000 वर्गमीटर.

(4) नियम-81 के परिशिष्ट "ठ" के उप खंड ठ-3 (क) की सारणी के सरल क्रमांक 8 के पश्चात् सरल क्रमांक 9 जोड़ा जाए, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	मल्टीप्लेक्स सितारा होटल	50 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका भाग.	50 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका भाग.	50 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका भाग.

Raipur, the 5th April 2006

No. F-9-64/32/05.—In exercise of powers conferred by Section 85 read with Section 24 of Chhattisgarh N: Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of section-85 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rule :—

(1) After clause (i) of sub rule (a) of rule 42-A the following proviso shall be added, namely :—

"But where the size of plot is more than 8000 sq. meter allowable ground coverage shall be in accordance with the ground coverage prescribed in the Development Plan".

(2) After sub clause (i) of clause (I) of sub rule (b) of rule 42-A, the following proviso shall be added,namely:—

"But where the size of plot is more than 10000 sq. meter allowable ground coverage shall be in accordance with the ground coverage presecribed in the Development Plan".

(3) After serial number-3 of table-4 of sub-rule (1) of rule 49, the serial number 3-a shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
3-a	Commercial	Multiplex	1 for every 1,00,000 population.	(a)	Under commercial land use the minimum size of plot shall be 4000 sq. meter.
				(b)	Under residential land use the minimum size of plot shall be 8000 sq. meter.
				(c)	Under Agriculture land use the minimum size of plot shall be 16000 sq. meter in.
		Star Hotel	1 for every 2,00,000 population.	(a)	Under commercial land use the minimum size of plot shall be 6000 sq. meter.
				(b)	Under residential land use the minimum size of plot shall be 10000 sq. meter.
				(c)	Under Agriculture land use the minimum size of plot shall be 20000 sq. meter.

(4) After serial number-8 of table of sub-clause L-3 (a) of Appendix-L of rule 81. Serial number-9 shall be added. namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Multiplex, Star Hotel	50 sq. meter floor area or fraction thereof	50 sq. meter floor area or fraction thereof.	50 sq. meter floor area fraction thereof.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

क्रमांक 849/177/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-290/177/32/2005 दिनांक 14-2-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना रायपुर (उपांतरित) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुरखास प. ह.नं.-106 अ	577 का भाग ब्लाक नं.-9 प्लाट नं.-1/1	265500 वर्गफीट	जलाशय	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (स्वास्थ्य सेवायें)
		योग	265500		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 806/1052/2006/वाकर/पांच.—श्री डी. सी. पाण्डेय, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 22-4-2006 से दिनांक 2-5-2006 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डेय, आगामी आदेश तक महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

विषय :—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की सेवा शर्तों में संशोधन.

क्रमांक एफ 1-35/2004/13/1.—छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा छ. ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्तों के संदर्भ में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 7-9-2002 के नियम एक (अ) के अंतर्गत अध्यक्ष एवं सदस्य को देय वेतन भत्तों के प्रावधानों को विलोपित कर अधिसूचित किया गया था.

2. छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा छ. ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की सेवा शर्तों के संदर्भ में जारी अधिसूचना क्रमांक 288/ऊ. वि./वि. क./2003, दिनांक 23-8-2003 में छ. ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को देय वेतन-भत्ते और अन्य सेवा शर्तें नियम-2003 के नियम 3, 4 एवं 5 के स्थान पर निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित करता है. यह तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे.

अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्तें :—

बिन्दु क्रमांक 1 कंडिका 2- आवास की सुविधा - अध्यक्ष व सदस्य को आवास की सुविधा राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को प्राप्त आवास की सुविधा के अनुरूप होगी.

संशोधित कंडिका 2 — "अध्यक्ष व सदस्य को आवास की सुविधा राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को प्राप्त शासकीय आवास की सुविधा के अनुरूप होगी".

बिन्दु क्रमांक 2 कंडिका 3 - वाहन की सुविधा — अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को वाहन की सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगा.

संशोधित कंडिका 3 — "अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को वाहन की सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगा. अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को वाहन के निजी उपयोग की पात्रता होगी. पात्रता एवं देय भुगतान का निर्धारण इस हेतु शासन में प्रचलित नियमों के अनुसार किया जावेगा."

बिन्दु क्रमांक 3 कंडिका 4 - देय यात्रा भत्ता — अध्यक्ष व सदस्य को प्रदेश के अंदर या बाहर यात्रा हेतु या स्थानांतरण पर (जिसमें आयोग में नियुक्ति पर कार्य ग्रहण तथा कार्य समाप्ति पर कार्य मुक्त होने की दशा में गृह नगर से की गई यात्रा सम्मिलित है) के दौरान उन सभी यात्रा भत्तों व दैनिक भत्ते व सामान को ले जाने हेतु किराया, या अन्य किसी समतुल्य विषयक भुगतान की पात्रता उसी दर व उसी मात्रा के अनुरूप होगी जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य में उपरोक्त विषयक भुगतान की पात्रता है. विदेश यात्रा आवश्यकतानुसार राज्य शासन/केन्द्र सरकार की सक्षम स्वीकृति पश्चात् कर सकेंगे. होटल में रुकने हेतु प्रावधान नहीं है.

संशोधित कंडिका 4 — "अध्यक्ष व सदस्य के द्वारा राज्य के बाहर अथवा अंदर प्रवास के दौरान क्रमशः महानगरों यथा दिल्ली, मुंबई कोलकाता और चेन्नई में होटल में रुकने के लिये रुपये 6500 प्रतिदिन तथा अन्य शहरों हेतु रुपये 5500 प्रतिदिन की सीमा तक के कमरों में रुकने की सुविधा हेतु पात्रता रहेगी तथा वास्तविक भुगतान के अनुसार यात्रा देयक में प्रतिपूर्ति दावा मान्य किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 8-4/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि., चाम्पा के बायलर क्रमांक एम. पी./4300 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 16-4-2006 से दिनांक 16-7-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 1-23/2004/11/(6).—राज्य शासन, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा बैकलॉग के अंतर्गत सीधी भरती से अनुसूचित जाति के एक पद की पूर्ति के तहत चयनित निम्न अभ्यर्थी को उनके गुणक्रमानुसार, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कार्यभार

ग्रहण करने के दिनांक से सेवा की सामान्य शर्तों पर सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो) के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- एवं समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते पर संचालक उद्योग के अंतर्गत नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ करता है :—

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक	पदस्थापना स्थल/जिला
1.	श्री सुरेश केशी आत्मज श्री सुदामा केशी, ग्राम-मेंहैदी, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	398	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर

2. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर इन्हें अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 8-11/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात लिमि. मंदिर हसौद, रायपुर के बायलर क्रमांक सी. जी./40 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 24-3-2006 से दिनांक 23-5-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 8-03/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमि. कोरबा के बायलर क्रमांक सी. जी./98 को दिनांक 16-3-2006 से 25-6-2006 तक तथा बायलर क्रमांक-सी. जी./99 को दिनांक 29-4-2006 से 25-8-2006 तक की अवधि के लिये निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की

धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राम्हणे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जनवरी 2006

क्रमांक 83/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	उच्चपिण्डा प.ह.नं. 01	0.174	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	धुरकोट उप वितरक नहर केनापाली माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 फरवरी 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/84.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सपिया प.ह.नं. 09	0.040	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग खरसिया.	खरसिया शाखा नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/89.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	खम्हरिया प.ह.नं. 06	0.040	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	खम्हरिया माइनर- III

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 90/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बेल्हाभांठा प.ह.नं. 12	0.105	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-4, डभरा.	कनाईडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 91/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प.ह.नं. 10	0.040	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सिंघनसरा माइनर नहर निर्माण (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 92/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प.ह.नं. 10	0.154	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया.	मौहाडेरा माइनर नहर निर्माण (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 129/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	किरारी प.ह.नं. 13	0.191	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	गुड़ेराडीह माइनर नहर निर्माण (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 130/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पुटेकेला प.ह.नं. 3	0.053	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया.	किरारी माइनर नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 131/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जाजंग प.ह.नं. 5	0.012	कार्यपालन यंत्री; मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	सकरेली माइनर नं. III (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 132/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सोंठी प.ह.नं. 6	0.093	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया.	सक्ती वितरक नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 133/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बासीन प.ह.नं. 3	0.117	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	पासीद माइनर नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 134/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	अचानकपुर प.ह.नं. 4	0.105	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया.	अचानकपुर माइनर नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 135/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	घोघरा प.ह.नं. 2	0.786	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	बरपाली माइनर नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 2410/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	गायमुख प.ह.नं. 6	21.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	मुण्डाटोला जलाशय के बांध पार एवं डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 2411/भू-अर्जन/200/24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	झूरानदी प.ह.नं. 19	88.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	भेड़रा जलाशय के अंतर्गत डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 2412/भू-अर्जन/2006/25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	भेड़रा प.ह.नं. 19	44.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	भेड़रा जलाशय के अंतर्गत डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2/अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है भूमि का अर्जन अनिवार्य होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 17 (1) के तहत अनुमति दी जाती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	परसाडीह मार्ग	0.694	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार	बनाहित, परसाडीह मार्ग निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/3/अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है भूमि का अर्जन अनिवार्य होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 17 (1) के तहत अनुमति दी जाती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	पीपरडूला मार्ग	0.554	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार.	झुमका, पीपरडूला मार्ग निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/4/अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है भूमि का अर्जन अनिवार्य होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 17 (1) के तहत अनुमति दी जाती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	मल्दा	1.564	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार.	मल्दा, सर्वा मार्ग निर्माण हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 339/ले. पा./भू. अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	काचरी प. ह. नं. 24	1.035	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भेजेपारा माइनर निर्माण के अंतर्गत भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 340/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	पदमी प. ह. नं. 8	1.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सिरवाबांधा जलाशय योजना के स्पिल चैनल (उलट) निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 14 सितम्बर 2005

क्रमांक 1722/भू-अर्जन/अ.वि.अ./19-अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बसना	टीपा प.ह.नं. 2	0.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	थीपापानी जलाशय योजना के उलट निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

महासमुन्द, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ.वि.अ./12-अ/82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	छिर्रापाली प.ह.नं. 1	1.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ.ग.).	छिर्रापाली जलाशय योजना के बायीं तट नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन//13-अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	बेलडीह पठार प.ह.नं. 12	3.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ.ग.).	लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के बांयीं तट नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/14-अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	बेलडीह प.ह.नं. 13/32	3.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ.ग.).	लमकेनी-सरायपाली जलाशय योजना के बायीं तट नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 अप्रैल 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	चोटिया प. ह. नं. 6	37.508	अध्यक्ष (कंपनी मामले) प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर.	कोल उत्खनन

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 जनवरी 2005

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 57/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.389 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
802/4	0.049
802/3	0.016
327	0.008
273/1	0.008
802/1	0.008
277	0.012
342/1	0.004
483	0.016
516/2	0.008
802	0.032
500	0.008
326/3	0.024
326/2	0.020
312/2	0.012
344	0.032
276	0.012
108, 229	0.020
279	0.004

(1)	(2)
515	0.036
500/1	0.028
479, 480	0.020
475/2	0.004
482/2	0.008
योग	0.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह ब्रांच माइनर-4.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 जनवरी 2006

क्रमांक 81/भू-अर्जन/डभरा/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.59 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
682/2, 682/3	0.12
1025/2	0.04
120/3	0.06
120/4	0.06
183/5	0.08
230/7	0.01
230/8	0.03
228/2	0.05
339/2	0.22
439/2	0.01
312/1, 312/2	0.01
308, 309	0.01
1111/3	0.06
339/1	0.07
1021/3	0.13
1139/17	0.04
1156/2	0.33
1155	0.21
1195	0.15
1129/1, 1235	0.11
1193/1, 1193/2	0.16
1234	0.50
1220/3, 1222/3, 1223/3	0.13
योग	2.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2006

क्रमांक 9/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-सारागांव, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.639 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2943	0.097
127/1, 2944	0.012
258	0.045
228/2	0.004
229/2	0.004
229/3	0.040
1114/3	0.097
1124/1	0.073
1117/1	0.138
1117/3	0.020
1696/1	0.032
1696/2	0.057
1697/1	0.020
योग 13	0.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सारागांव माइनर नं.1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2006

क्रमांक 10/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
341/1	0.016
341/2	0.020
341/3	0.045
341/4	0.024
340	0.020
योग 5	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चोरिया सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2006

क्रमांक 11/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/3	0.049

	(1)	(2)
	90	0.077
योग	2	0.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 3 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना आंजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक/331/प्र.-1/2006/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-भिमौरी, प. ह. नं.. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1988	0.12
	1989	0.02
	1984	0.08
	1976	0.04
	1977	0.03
	1974	0.08
	1973	0.09
	1955	0.11
	1953	0.10
	1917	0.06
	1916	0.04
	1913	0.12
	1895/1	0.10
	1895/2	0.07
	1894/2	0.12
	1880	0.08
	1879	0.09
	1842	0.03
	1843	0.17
	1844	0.18
	1912	0.06
	1543	0.03
योग	22	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-हरदी भिमौरी जलाशय अतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक/332/प्र.-1/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-हसदा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.49

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1235	0.14
1242	0.18
1245	0.09
1236	0.14
1243	0.18
1248	0.16
1237	0.16
1244	0.09
1246	0.09
1247	0.29
1250	0.21
1251	0.11
1252	0.19
1254	0.84
1255	0.47
1256	0.15
योग 16	3.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन ज़िसके लिए आवश्यकता है-अकोली व्यपवर्तन योजना अंतर्गत भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक/337/प्र.-1/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-अकोली, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112/16	0.31
112/19	0.24
112/17	0.22
112/18	0.18
163/7	0.17
163/5	0.09
163/1	0.10
163/2	0.26
191	0.04
160	0.03
196/1	0.15
196/2	0.05
158	0.05
157/1	0.06
157/2	0.16
157/4	0.06
456	0.06
96	0.01
97	0.01
157/5	0.02
157/3	0.12
योग 21	2.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकोली व्यपवर्तन के अंतर्गत अकोली नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साज़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक/341/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-किरकी, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226	0.64
370	0.12
228/2	0.24
320	0.10
318/3	0.13
321	0.27
323	0.08
328	0.11
335	0.61
374	0.03
376/1	0.01
379	0.14
396	0.05
407	0.03
316	0.01
227	0.64
224/1	0.15
317	0.80
318/1	0.12
325	0.14
327	0.34
330	0.59
334	0.09
378/1	0.01
381/1	0.01
394	0.03
400	0.06
408	0.05
229	0.41
371	0.01
228/1	0.24
319	0.12
318/2	0.11
322	0.19
329	0.42
331	0.23
332/1	0.01
375	0.07
381/2	0.01
355	0.03
406	0.04
333/1	0.01
314	0.19
योग	7.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरकी जलाशय डुबान एवं नहर नाली.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक/07/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-भुरकी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57	0.01
91	0.01
172	0.39
128	0.04
154/1	0.12

(1)	(2)
257/1	0.28
316/1	0.07
58/1	0.04
154/2	0.16
123 133 122	0.33
249/4 262 263	0.23
58/2	0.15
53/1	0.10
121	0.14
155/1 170/4	0.76
267 268 269/1	0.33
58/4	0.02
92	0.02
126	0.01
119/1	0.15
272	0.01
317	0.22
364	0.09
59	0.10
101 261	0.25
127	0.14
153	0.09
258	0.15
363	0.28
योग	4.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भुरकी जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक/19/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-फरी, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.21 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1281	0.03
77	0.19
78	0.07
79	0.10
94	0.12
95/2	0.11
98/2	0.17
80	0.18
99	0.01
100	0.31
685	0.01
101	0.01
602	0.14
591	0.05
671	0.04
1280	0.18
752	0.01
753	0.03
1229	0.06
750	0.02
748	0.03
743	0.04
747	0.05
744	0.01
745	0.03
824	0.01
825	0.02

(1)	(2)
826	0.07
746	0.03
927	0.02
603/1	0.01
1306	0.10
1309	0.02
1305	0.09
1310	0.10
1314	0.09
1317	0.01
1313	0.08
1318	0.01
1320	0.16
1324	0.13
1322	0.02
1323	0.12
929	0.01
1330	0.08
751	0.01
672	0.08
1331	0.01
1307	0.08
673	0.03
939/6	0.03
941	0.06
581	0.02
98/1	0.01
1230	0.04
687	0.06
597/2	0.21
1228	0.08
690	0.10
599/1	0.20
1279	0.02
828	0.13
689	0.03
930	0.02
926	0.11
585	0.04
81/1	0.03
1224	0.11
686	0.24
597/1	0.11
1227	0.01
688	0.07
606/1	0.01
1234	0.01
749	0.04
603/1	0.03
योग	5.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यप. (मुख्य नहर).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक/भू-अर्जन/2006/2483.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-मुण्डाटोला, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5/13	0.13

(1)	(2)
17/7	0.10
18/3	0.18
77/2	0.03
9/2	0.03
17/10	0.09
18/4	0.01
9/3	0.12
17/11	0.09
22/1	0.18
9/4	0.16
17/13	0.25
22/2	0.05
योग	1.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुण्डाटोला जलाशय के अंतर्गत बायीं तट नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 78/भू-अर्जन/अ.वि.अ./08-अ/82/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-पलसापाली, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351	0.18
631	0.09
582	0.06
712	0.08
649/2	0.06
349	0.06
239	0.05
583/1	0.06
335	0.08
711	0.07
648	0.03
700	0.05
657	0.07
235	0.03
307	0.08
234	0.01
306	0.01
236	0.04
350	0.11
294	0.03
649/1	0.07
218	0.04
656	0.05
238	0.11
655	0.13
593	0.05
219	0.08
647	0.02
338	0.13
710	0.14
701	0.05
302	0.07
309	0.01
योग 33	2.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 79/भू-अर्जन/अ.वि.अ./07- अ/82/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-अंकोरी, प.ह.नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रक़बा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
413	0.05
423	0.07
389	0.08
393	0.08
399	0.05
396	0.04
640	0.09
641	0.08
390/2	0.02
392	0.04
1129/1	0.09
568/1	0.09
593	0.08
595	0.08
1130/1	0.08
1138/2	0.03
390/1	0.04
1131	0.05
587	0.20
635	0.07
1138/1	0.03
415	0.08
422	0.11
400	0.10
402	0.06
581	0.04
594	0.05
योग 27	1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 80/भू-अर्जन/अ.वि.अ./11-अ/82/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-जटाकन्हार, प.ह.नं. 13/32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
289	0.05
614/4	0.05
332	0.08
649	0.05
82	0.08
308	0.02
95	0.04

(1)	(2)
133	0.03
326	0.14
617	0.02
656	0.04
333	0.02
320	0.07
659	0.04
305	0.05
316	0.03
94	0.03
103	0.01
629	0.05
192	0.06
271	0.03
616/1	0.02
304	0.05
472/1	0.06
318	0.02
132/2	0.05
270	0.02
620	0.05
75	0.06
102	0.04
650	0.04
319	0.04
81	0.02
19	0.10
269	0.02
112	0.03
654	0.03
635	0.03
111	0.02
630	0.02
637	0.02
663	0.01
472/2	0.02
79/2	0.06
101	0.03
570	0.02
100/2	0.03
648	0.07
290	0.02
666/1	0.05
294	0.06
132/1	0.04
302	0.04
662	0.01
योग 54	2.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 81/भू-अर्जन/अ.वि.अ./10-अ/82/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कायतपाली, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
446	0.11
443	0.01
581	0.06
588/3	0.03
424	0.03
437	0.06
444	0.02

(1)	(2)
527	0.08
577	0.09
438	0.05
588/2	0.04
530/2	0.06
530/1	0.06
588/1	0.03
526	0.04
434	0.09
442	0.02
582	0.16
518	0.20
453	0.06
455	0.10
454/2	0.03
425	0.12
456,	0.10
529	0.04
547	0.11
योग 26	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 नवम्बर 2005

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-छिन्दकालो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.395 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1258	0.030
1045/1	0.040
1255/1	0.081
1071	0.040
1259/3	0.040
1043/1	0.064
1255/2	0.032
1055/1	0.032
1255/3	0.016
1076/1	0.020
योग	0.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के दायां तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 मार्च 2006

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-सीतापुर
(ग) नगर/ग्राम-सीतापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.677 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर-में) (2)
813	0.223
831	0.069
833	0.121
814	0.057
816	0.024
817	0.109
818/1	0.061
820/1	0.033
830	0.024
821/1	0.004
योग	0.677

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक /366/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-कांकेर

(ग) नगर/ग्राम-पांडरवाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
75/1	0.49
76/2	0.13
75/4	0.82
76/5	0.12
76/6	0.12
126/5	0.84
118	0.57
116	1.42
137	0.12
76/1	0.12
75/3	0.83
75/5	0.87
75/6	0.82
126/2	1.54
115	2.42
136	0.08
134	0.88
119	0.12
75/2	0.83
76/3	0.13
76/4	0.12
75/7	0.82
126/4	0.52
113	1.21
117	0.02
135	0.18
76/7	0.13
योग	16.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-गौरगांव तालाब योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक /369/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-कांकेर
(ग) नगर/ग्राम-कुरिष्टीकुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1056	0.51
900	0.16
1074	0.14
901	0.48
1091	0.16
1075	0.28
1077	0.25
1081	0.36
1085	0.45
1083	2.96
1057	0.13
904	0.12
1090	0.25
1072	0.08
905	0.27
1060	2.05
1078	0.11
1082	0.85
1089	0,13
1036	0.55
1058	2.73
1071	0.25
1087	0.04
1073	0.16
1059	0.26
1078	0.18
1061	0.50
1084	0.90
1069	1.10
1051	0.04
योग	16.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-बांधापारा जलाशय योजना अंतर्गत जलाशय निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

क्रमांक /377/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-नरहरपुर
(ग) नगर/ग्राम-शामतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.360 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
634	0.02
598	0.08
599	0.15
643	0.26
310	0.51
281	0.34
278	0.04

(1)	(2)
271	0.12
251	0.02
265	0.14
644	0.12
645	0.28
460	0.08
464	0.22
309	0.07
280	0.17
248	0.22
268	0.09
267	0.08
260	0.56
456	0.03
458	0.02
457	0.07
459	0.01
308	0.03
277	0.27
276	0.13
249	0.03
266	0.12
261	0.08
योग	4.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 अप्रैल 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरबा
 (ख) तहसील-कटघोरा
 (ग) नगर/ग्राम-सखोदा, प.ह.नं. 5
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.880 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	178/31	2.023
	284/6	1.619
	284/7	0.405
	284/8	1.619
	284/9	0.405
	284/10	0.809
योग	6	6.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 अप्रैल 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-घोंसरा, प.ह.नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.963 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
972/32	1.214
972/34	0.809
972/33	0.809
972/43	1.214
972/59	1.619
972/45	1.416
972/46	0.405
972/53	1.214
972/75	0.809
972/49	0.809
627/44	1.518
627/59	1.416
627/39	1.619
627/56	2.023
627/54	2.023
627/50	2.023
627/68	2.023
योग 17	22.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं ज़िला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 4 अप्रैल 2006

क्रमांक/3708/नजूल/2006.—न्यायालय के रा. प्र. क्र. 8 अ 20 (1) 2004-2005 के अनुसार प्रकरण दर्जकर कार्यवाही की गई. छ. ग. शासन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 1095/2003/री. प्र./2005 रायपुर दिनांक 8-4-2005 के अनुसार तथा तहसीलदार नजूल के स्थल जांच प्रतिवेदन पश्चात् प्रकरण का परीक्षण किया गया. तद्नुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम-रामपुर प. ह. नं. 4 तहसील व जिला कोरबा में स्थित भूमि ख. नं. 191/1 के रकबा में से 36×37 मीटर= 1332 वर्ग मीटर (0.33 एकड़) कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कोरबा को शासकीय प्रयोजन में जल परीक्षण प्रयोगशाला भवन व ई टाईप भवन निर्माण हेतु रा. प्र. परि. 4 (1) खण्ड 36 के तहत आवंटित किया जाता है.

सुधाकर खलखो,
अपर कलेक्टर.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवम् भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक 1418/अ वि अ/2006.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर, तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और ,राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सुल्ताननार/20	10	2.51

आर. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd February 2006

No. 83/Confdl./2006/II-3-1/2006.—Ku. Garima Arya, VI Civil Judge Class-II, Raipur is, hereby, transferred and posted as Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar from the date she assumes charge of her office.

Bilaspur, the 3rd February 2006

No. 85/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at and placed in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this Order :—

TABLE

S. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class-II (2)	Posted As & At (3)
1.	Ku. Nidhi Sharma, D/o Shri Rambabu Sharma, 13, Kanti Nagar, Tansen Road, Gwalior (M.P.)-474002.	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class II, Kabirdham (Kawardha).
2.	Shri Pankaj Sharma, S/o Shri S. K. Sharma, "Sharma Sadan", Kaithwala Chowk, Aapa Ganj, Lashkar, Gwalior (M. P.) - 474001.	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class II, Korba.
3.	Shri Ashish Pathak, S/o Shri R. P. Pathak, Quarter No. 3021, Type-III, Sector-1, Vehicle Factory Estate, Jabalpur (M. P.)	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class II, Korba.
4.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi, S/o Shri Uday Singh Tyagi, B-29, Dr. Rajendra Prasad Colony, Tansen Road, Gwalior (M. P.) 474002.	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class II, Raigarh.
5.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel, S/o Shri Yashwant Singh Baghel, Quarter No. G-10, Near Badi Dargah, Amhia Road, Rewa (M. P.)-486001.	III Civil Judge Class II, Durg
6.	Shri Siddharth Aggarwal, S/o Shri Arun Kumar, 63, Suteenganj, Purani Mandi, Muzaffarnagar (U. P.) 251002.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class II, Ambikapur.
7.	Ku. Pooja Mehar, D/o Shri Sanat Kumar Mehar, Koshtapara, Palace Road, Narsingh Temple Street, Raigarh (C. G.)-496001.	VI Civil Judge Class II, Jagdalpur.

Bilaspur, the 14th February 2006

No. 94/Confdl./2006/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following Additional District & Sessions Judges as specified in column No.(2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officers Training Institute (J.O.T.I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 19-02-2006 up to 2.00 P.M. for undergoing 1st Re-Orientation/Refresher Course on "Judicial Education on Motor Accidents Claim Cases" from 19-02-2006 to 20-02-2006 :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Additional District & Sessions Judge (2)	Posted As & At (3)
1.	Shri Pooran Nath Tembhurkar	II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.
2.	Shri Mahadev Katulkar	Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
3.	Shri Ashok Kumar Pathak	II Additional District & Sessions Judge, Mahasamund.
4.	Shri Satish Kumar Singh	Additional District & Sessions Judge, Kanker
5.	Shri Pradeep Kumar Dave	Additional District & Sessions Judge, Sanjari-Balod.
6.	Shri Anil Kumar Gaikwad	IV Additional District & Sessions Judge, Durg.
7.	Shri Rameh Kumar Rathi	I Additional District & Sessions Judge, and Special Judge under N. D. P. S. Act, Raigarh.
8.	Shri Anand Kumarr Beck	I Additional District & Sessions Judge, Raipur.
9.	Shri Narsingh Usendi	V Additional District & Sessions Judge, Durg
10.	Shri Vijay Bhushan Singh	Additional District & Sessions Judge, Surajpur
11.	Shri Khagendra Singh	Additional District & Sessions Judge, Jashpur
12.	Shri Tularam Churendra	I Additional District & Sessions Judge, Ambikapur.
13.	Shri Neelam Chand Sankhla	I Additional District & Sessions Judge, Durg
14.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi	IV Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
15.	Shri Vijendra Nath Pandey	II Additional District & Sessions Judge, Durg

(1)	(2)	(3)
16.	Shri Vinay Kumar Kashyap	I Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.
17.	Shri Deepak Kumar Tiwari	I Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
18.	Shri Govind Kumar Mishra	Additional District & Sessions Judge, Korba
19.	Shri Nirmal Minj	II Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.
20.	Shri Agralal Joshi	II Additional District & Sessions Judge, Raigarh.

The abovementioned Judicial Officers are also directed to observe the dress code prescribed by the High Court during the training and to bring with them the book "Motor Vehicle Act, 1988".

Bilaspur, the 20th February 2006

No. 29/II-14-1/2006 (Part-III).—Shri Diwakar Prasad Singh and Shri Brajesh Mishra Assistant Registrars are promoted to the post of Deputy Registrar in the pay-scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume charge of their duties.

Bilaspur, the 7th March 2006

No. 136/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at and placed in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this Order :—

TABLE

S. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class-II (2)	Posted As & At (3)
1.	Ku. Pallavi Parashar, C/o Shri J. P. Parashar, President, District Consumer Forum, C-2, Kalpi Road, No. 7 Street, Murar, Gwalior (M.P.)-474006.	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class II, Bilaspur.
2.	Smt. Urmila Gupta, In front of Chourasia Dharamkanta, Urrhat, Rewa (M. P.)-486001.	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class II, Ambikapur.
3.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, C/o Shri Basant Bhaskar Ghate, 4-Kha-3, Jawahar Nagar Jaipur (Raj.)-302004.	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class II, Rajnandgaon.

Bilaspur, the 23rd March 2006

No. 151/Confdl./2006/II-3-1/2006.—Shri Liladhar Sarthi, I Civil Judge Class-II, Ambikapur is, hereby, transferred and posted as Civil Judge Class-II, Surajpur from the date he assumes charge of his Office.

Bilaspur, the 28th March 2006

No. 46/II-15-19/2002.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of the Article 229 of the Constitution of India, the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, for better administration and smooth functioning of the High Court makes the following amendments in the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 which shall come into force forthwith :

AMENDMENTS

Rule 5 (1) of part IV which deals with the appointment to the post of Assistant Registrar is substituted by the following Rule 5 (1) with effect from the 28th Day of March 2006 :

S. No.	Name of the Post	Source & Method of Appointment
(1)	(2)	(3)
1.	Assistant Registrar	By promotion strictly based on merit-cum-seniority from amongst incumbents holding the following posts : (i) Section Officers (ii) Private Secretary, Librarian, Assistant Editor (I. L. R.) **Note :** Vacancies in the sanctioned posts of Assistant Registrar shall be filled up in the ratio of 50:50 between (i) and (ii) categories noted above.

Bilaspur, the 18th April 2006

No. 2157/J.O.T.I./2006/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No.(2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officers, Training Institute (J.O.T.I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 23-04-2006 in the afternoon and before 5 P.M. for undergoing the First Part of Institutional Training Programme to be held from 24th April 2006 to 19th May 2006 :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted As & At (3)
1.	Ku. Nidhi Sharma	II Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.

(1)	(2)	(3)
2.	Ku. Mamta Bhojwani	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
3.	Shri Vivek Kumar Tiwari	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
4.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
5.	Shri Pankaj Kumar Sharma	I Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Korba.
6.	Shri Deepak Kumar Gupta	I Civil Judge Class-II, Raipur
7.	Shri Sunil Kumar Nande	II Civil Judge Class-II, Raigarh
8.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur	III Civil Judge Class-II, Raipur
9.	Shri Avinash Tiwari	IV Civil Judge Class-II, Raipur
10.	Smt. Mamta Patel	III Civil Judge Class-II, Bilaspur
11.	Shri Prashant Kumar Shivhare	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
12.	Shri Ajay Singh Rajput	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
13.	Ku. Heemanshu Jain	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
14.	Shri Anish Dubey	I Addl.. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
15.	Shri Satyendra Kumar Mishra	I Civil Judge Class-II, Durg
16.	Shri Shahabuddin Qureshi	I Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
17.	Shri Rakesh Kumar Verma	VII Civil Judge Class-II, Raipur
18.	Shri Vivek Kumar Tiwari	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
19.	Shri Aditya Joshi	IX Civil Judge Class-II, Raipur
20.	Shri Ashish Pathak	II Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Korba.
21.	Smt. Kiran Rathi	III Civil Judge Class-II, Raigarh
22.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
23.	Ku. Neeru Singh	II Civil Judge Class-II, Durg
24.	Shri Balaram Sahu	XI Civil Judge Class-II, Raipur

(1)	(2)	(3)
25.	Shri Atul Kumar Shrivastava	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
26.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel	III Civil Judge Class-II, Durg
27.	Shri Siddharth Aggrawal	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
28.	Shri Chandra Kumar Kashyap	IV Civil Judge Class-II, Durg
29.	Shri Shrikant Shrivas	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
30.	Shri Vivek Kumar Verma	II Civil Judge Class-II, Dantewara
31.	Smt. Priya Rao	XII Civil Judge Class-II, Raipur
32.	Shri Vijay Kumar Sahu	Civil Judge Class-II, Jashpur
33.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
34.	Ku. Pooja Mehar	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
35.	Shri Leeladharsai Yadaw	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
36.	Shri Madhusudhan Chandrakar	V Civil Judge Class-II, Durg
37.	Ku. Pratibha Verma	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
38.	Shri Kamlesh Jagdalla	VII Civil Judge Class-II, Durg
39.	Shri Prabhakar Gwal	VIII Civil Judge Class-II, Durg
40.	Ku. Pallavi Parashar	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
41.	Smt. Urmila Gupta	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
42.	Shri Shailesh Achyaut Patwardhan	I Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.
43.	Shri Dilesh Kumar Yadav	I Civil Judge Class-II, Ambikapur

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

A. Code of Civil Procedure,
B. Code of Criminal Procedure,
C. Evidence Act,
D. Limitation Act,

E. Indian Penal Code,
F. Rules & Orders-Civil & Criminal,
G. Stamp & Court Fees Act,
H. Arms Act,
I. C. G. Excise Act,
J. Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules).

Bilaspur, the 20th April 2006

No. 247/Confdl./2006/II-2-99/2001.—On the request of Shri Chotelal Singh Tekam, Judge, Family Court, Raigarh, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant permission to correct the spelling of his first name as "Chhotelal" instead of "Chotelal" with a direction that necessary changes be effected in all his service records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

क्रमांक 1851/तीन-10-8/2000-भाग-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 5402/तीन-10-8/2000 भाग-2 दिनांक 8 नवम्बर 2005 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जावे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
9	रायपुर	1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. धमतरी 4. महासमुन्द 5. भाटापारा 6. गरियाबंद

Bilaspur, the 29th March 2006

No. 1851/III-10-8/2000 (Part-II).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court, Chhattisgarh hereby amends its Notification No. 5402/III-10-8/2000 Pt.-II, dated 8th November 2005 as under, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 9 and further existing entries relating thereto as shown in Column No. (3) the following entries be substituted, namely :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
9	Raipur	1. Raipur 2. Baloda Bazar 3. Dhamtari 4. Mahasamund 5. Bhatapara 6. Gariaband

By order of the High Court,
A. R. L. NARAYANA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2006

क्रमांक 2144/अ.रा./2006/II-2-20/2005.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री एम. पी. सिंघल, विशेष न्यायाधीश, अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, बस्तर, स्थान जगदलपुर को दिनांक 19-11-2005 से 12-2-2006 तक दोनों दिन सम्मिलित करके कुल 86 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. सिंघल को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. सिंघल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

उपरोक्त अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके अवकाश लेखे में 182 दिवस का अर्ध-वेतन अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2006

क्रमांक 2145/अ.रा./2006/II-2-20/2005.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री एम. पी. सिंघल, विशेष न्यायाधीश, अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, बस्तर, स्थान जगदलपुर को दिनांक 17-11-2005 से 18-11-2005 तक दोनों दिन सम्मिलित करके कुल 02 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. सिंघल को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. सिंघल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

उपरोक्त अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके अवकाश लेखे में 240+13 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2006

क्रमांक 2146/अ.रा./2006/II-2-20/2005.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री एम. पी. सिंघल, विशेष न्यायाधीश, अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, बस्तर, स्थान जगदलपुर को दिनांक 24-10-2005 से 29-10-2005 तक दोनों दिन सम्मिलित करके कुल 06 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23-10-2005 एवं पश्चात् में दिनांक 30-10-2005 से 6-11-2005 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने व दिनांक 22-10-2005 की संध्या से दिनांक 30-10-2005 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. सिंघल को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. सिंघल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

उपरोक्त अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके अवकाश लेखे में 240+01 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2006

क्रमांक 2147/अ.रा./2006/II-2-20/2005.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री एम. पी. सिंघल, विशेष न्यायाधीश, अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, बस्तर, स्थान जगदलपुर को दिनांक 16-02-2006 से 23-02-2006 तक दोनों दिन सम्मिलित करके कुल 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. सिंघल को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. सिंघल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

उपरोक्त अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+05 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
रवि शंकर शर्मा, एडिशनल रजिस्ट्रार.